कार्यालय :– नगर पंचायत, नासरीगंज (रोहतास)।

पत्रांक ....

प्रेषक ,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत नासरीगंज।

सेवा में ,

महालेखाकार (ले0प0)
बिहार, पटना।

दिनांक ....

विषयः– अंकेक्षण–प्रतिवेदन सं0– 686/2011–12 के कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए विलोपित करने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यालय के पत्रांक–33 दिनांक–23.01.2015 के द्वारा अंकेक्षण–प्रतिवेदन सं0–686/2011–12 का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया था जिसमे से 20 कडीकाओं को निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया था परन्तु 7 कंडिकाओ को विलोपित करने संबंधी पत्र उप सचिव न0वि0 एवं आ0वि0 पटना के पत्रांक–2728 दिनांक– 21.04.2016 से प्राप्त हुआ है। इस संबंध में पुनः नगर पंचायत के बोर्ड के द्वारा बैठक कर दिनांक–11.04.2016 को ही प्रस्ताव सं0–06 के द्वारा पुनः अकेक्षण प्रतिवेदन सं0–686/2011–12 के लंबित कडिकाओ को क्रमवार चर्चा करते हुए निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में कहना कि ये पुर्व का मामला है उस समय से लेकर आजतक स्थाई रूप से कर्मचारीयों के नियुक्ति नही होने के कारण ससमय कागजातो को उपलब्ध नहीं कारने के कारण कमियाँ पाई गई थी। इन कमियों को क्रमवार विचार करते हुए सर्वसम्मति से नगर पंचायत के बोर्ड के द्वारा निरस्त कर दिया गया है जो कंडिकावार निम्न प्रकार है।

1. प्रस्तावना – प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं।
2. प्रशासन – प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं।
3. अंकेक्षण का क्षेत्र – प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं।
4. अंकेक्षण की प्रमुख उपलब्धियाँ :–

4. क्र0सं0 –1. कंडिका 08 गृहकर में अनियमितता	गृहकर का निर्धारण वर्ष 2007 के अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2008 में निर्धारित किया गया है । जिसका बिहार गजट में प्रकाशन भी हुआ है । उसी के आधार पर कर का निर्धारण हुआ है । बैठक में इस संबंध में पुनः विचार हेतू प्रस्ताव दिया जा रहा है गृहकर निर्धारण अनिमियतता नहीं है । अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाता है ।
4 क्र0सं0 –2. कंडिका 09 मोबाइल टावरो के पास बकाया राशि –	मोबाईल टावरों पर राशि वसुली के लिए नगर पंचायत से तीन बार नोटिस एवं अखबार में टैक्स जमा करने हेतू चेतावनी दी जा चुकी है। इस संबंध में राशि वसुली के लिए टॉवर सील करने के लिए भी नगर पंचायत द्वारा आवश्यक कार्यवाई की जा रही है । अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाता है ।
4 क्र0सं0 –3 कंडिका 11 जमा नहीं	कुल मो0 25275 रू नगर पंचायत के कोष में जमा किया जा चुका है । अतः इस कडिका को निरस्त किया जाता है ।
4 क्र0सं0 –4. कंडिका 13 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का विचलन –	1. मारूती ओमनी एम्बुलेंश के क्रय हेतू डी0डी0सी0 रोहतास का अनुमोदन प्राप्त है इस प्रकार इस निधि का विचलन नहीं माना जाएगा अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाए । 2. कुल 1880 रू वसुल कर नगर पंचायत के खाता में जमा कर दिया गया है । एम्बुलेंस से प्राप्त आय के लिए प्राप्त रसीद जारी किया जाता है । अतः इसे निरस्त

	किया जाता है ।
कंडिका–5 कंडिका 14 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	पूर्ववति लेखा परीक्षण अनुपालन प्रतिवेदन क्रमियों के कमी एवं रख रखाव के दरम्यान सही आलमिरा में नहीं रखने के कारण उपलब्ध नहीं कराया जा सका था । भविष्य में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जायेगे । अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाता है।
कंडिका–6 आंतरिक अंकेक्षण–	आतंरिक अंकेक्षण हेतू अध्यक्ष , उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी ,नगर प्रबंधक के संयुक्त टीम द्वारा किया गया है । अतः इस कंडिकाओं को निरस्त किया जाता है ।
कंडिका–7 वित्तीय स्थिति	सभी मदों के लिए अलग पंजी का संधारण किया गया है। मुख्य कैशबुक एवं सबसिडरी कैशबुक अलग अलग किये जा रहे है । वित्तिय स्थिति में सुधार हेतू 26 जनवरी 2016 में हिन्दुस्तान तथा 17 अप्रैल 2016 को दैनिक जागरण में वसुली के कड़े कदम उठाने संबंधी विज्ञापन किए जा चुके है । तथा माईक के द्वारा भी होल्डिंग टैक्स मोबाईल टावर टैक्स ,ट्रेड लाईसेंस शुल्क जमा करने हेतू प्रचार प्रसार किया जा चुका है । नोटिस भी डाक से दी जा चुकी है । अतः इस दिशा में कार्यवाई को देखते हुए कंडिका को निरस्त किया जाता है ।
कंडिका–8 भवन का कर निर्धारण –	भवन कर के निर्धारण हेतू पुनः सर्वे कराकर नये सिरे से कार्यवाई की जा रही है ताकि नगर पंचायत के राजस्व में बढोतरी हो। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाता है ।
कंडिका–10 परिणाम विपत्र राशि कम जामा करना	राशि का समायोजन कर लिया गया है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाता है।
कंडिका–11– श्री भोला कुमार के राशि कम जमा करने के संबंध मे।	श्री भोला कुमार कर संग्रहक द्वारा मो 025257रू0 जमा करा ली गई है । अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाता है ।
कंडिका–12 आलू एवं प्याज के आच्छादन के लिए अनुदान राशि वितरण में अनियमितता।	1. लाभार्थियों के पास बैंक खाता नही होने के कारण उनके लिखित अनुरोध पर नगद भुगतान किया गया था । इसे निरस्त किया जाता है । 2. भुलवंश अभिश्रवों पर पार्षद एवं पंचायत सचिव का हस्ताक्षर छुट गया था। इसमें सुधार करा लिया गया है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाता है। 3.अभिश्रवों पर अंकित खाता एवं अनुदान पंजी के खातों का मिलान कर लिया गया है अतः निरस्त किया जाता है । 4. अभिश्रवों पर अनुदान प्राप्त कर्ताओं का हस्ताक्षर करा लिया गया है। अतः इसे निरस्त किया जाता है ।
कंडिका–13–पिछडा. क्षेत्र अनुदान निधि का विचलन कर एम्बुलेंश क्रय किया जाना।	श्री युगल किशोर कर्मचारी द्वारा एम्बुलेंश किराया संबंधी राशि मों0 1880 रू जमा करा लिया गया है । वर्तमान में एम्बुलेंश से आय के अलग से रजिस्टर का संधारण किया जाता है । एम्बुलेश खरीद को भी सही माना जा रहा है । अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाता है ।
कंडिका–14– स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण।	प्रशिक्षण, प्रशिक्षणर्थियों एवं इस मद में भुगतान पर उठाए गए प्रश्न पर विचार किया । विचारोपरान्त पाया गया कि सही कागजातों के उपस्थापन नहीं होने के कारण सन्देह उत्पन्न हुआ है। सभी आवश्यक कदम उठाए गए है जो सही है। अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाता है ।
कंडिका–15 – स्वीकृत एवं कार्यरत बल	इस संबंध में दैनिक कार्यरत कर्मियों पर आपति उठायी गई है विभाग एवं सरकार के द्वारा ससमय सही मार्ग दर्शन नहीं होने के कारण नियमित नियुक्ति नहीं की गई है । वर्तमान में नियमित नियुक्ति विभाग द्वारा स्वंय करने संबंधी कार्यवाई की जा रही है तथा वैक्लपिक व्यवस्था के सेवानिवृत कर्मियों के नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत बहाल करने संबंधी मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ है । इस पर कार्यवाई चल रही है। नगर पंचायत

	द्वारा मनुष्य के जीवन उपयोगी कार्यो के संचालन के कारण ही दैनिक मानदेय पर कर्मी रखे गए है जो प्राकृतिक न्याय के अनुकुल कार्य करवाने के बदले इनलोगों को दैनिक मानदेय भुगतान किया जाता है । कर्मियों के रखने एवं मानदेय भुगतान संबंधी आपति को निरस्त किया जाता है ।
कंडिका–16 – वैट राशि की कटौती नहीं किया जाना	नगर पंचायत में नियमानुकूल वैट की राशि की कटौती की गई है तथा ससमय संबंधित विभाग को राशि उपलब्ध करा दिया गया है । अतः इसे निरस्त किया जाता है ।
कंडिका–17 –योजना मद से काटी गई रॉयल्टी, वैट एवं आयकर की राशि नहीं जमा किया जाना	योजना मद से काटी गई रॉयल्टी, वैट एवं आयकर की राशि को संबंधित विभागों में 31 मार्च के पहले जमा करा दिया गया है । अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाता है ।
कंडिका–18 – श्रम सेस की कटौती नहीं	श्रमशेष की कटौती के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे है । अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाता है ।
कंडिका–19 –नगर पंचायच द्वारा अग्रिम	नगर पंचायत द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण किया जा चुका है । इस पंजी के आधार पर ही राशि का सामायोजन किया जा रहा है । अतः इस कंडिका को निरस्त किया जाता है ।
कंडिका–20 – अभिश्रव अप्रस्तुत	लेखा परीक्षाओं के जॉच के दौरान जो अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया था उसे आने वाले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा । अतः इसे निरस्त किया जाता है ।

बोर्ड के द्वारा क्र0स0 01 से 20 तक कंडिकाओ के त्रुटियो पर विचार करते हुए निरस्त किया जाता है जिसे सादर समर्पित करते हुए अनुरोध है कि अंकेक्षण की आपत्तियों को निरस्त करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नासरीगंज।

ज्ञापांक 483 (~~480~~) दिनांक 4-6-2016

प्रतिलिपिः–

1. उपसचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–07/अके0–103/14 2708/न0वि0 एवं आ0वि0 के आलोक में सुचनाथ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रषित।
2. जिला पदाधिकारी रोहतास, सासाराम के पत्रांक–03/जि0वि0शा0 दिनांक–20.05.2016 के आलोक में सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

4/6/16

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नासरीगंज।